

### सूचना २

श्री ५ को सरकारले नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायबमोजिमको क्षेत्रलाई नगर क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यस्तो नगर क्षेत्रहरूको सिमाना विधित नगर पञ्चायतहरूको क्षेत्र सिमाना बमोजिम नै हुनेछ ।

#### नगर क्षेत्र

|                  |               |             |                 |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| १. इलाम          | २. भद्रपुर    | ३. दमक      | ४. धनकुटा       |
| ५. धरान          | ६. विराटनगर   | ७. लाहन     | ८. इन्ऱुवा      |
| ६. राजविराज      | १०. जनकपुर    | ११. जलेश्वर | १२. मलंगवा      |
| १३. कलैया        | १४. वीरगञ्ज   | १५. हेटौडा  | १६. भरतपुर      |
| १७. काठमाडौं     | १८. ललितपुर   | १९. भक्तपुर | २०. बनेपा       |
| २१. धुलिखेल      | २२. विदुर     | २३. पोखरा   | २४. तानसेन      |
| २५. सिद्धार्थनगर | २६. बुटवल     | २७. तौलिहवा | २८. त्रिभुवननगर |
| २६. वीरेन्द्रनगर | ३०. नेपालगञ्ज | ३१. धनगढी   | ३२. दिपायल      |
| ३३. महेन्द्रनगर  |               |             |                 |

### सूचना ३

श्री ५ को सरकारले नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नगरपालिकामा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहने गरी तोकेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

- |  |           |
|--|-----------|
| १. सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यकारिणी सचिव                                  | - अध्यक्ष |
| २. सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य       |           |
| ३. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृत                    | - "       |
| ४. सम्बन्धित कर कार्यालयको (राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको) प्रतिनिधि          | - "       |
| ५. सम्बन्धित जिल्लाको खानेपानी शाखाको इन्जिनियर                            | - "       |
| ६. सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा शाखाको (राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको) प्रतिनिधि | - "       |
| ७. सम्बन्धित आवास तथा शहरी विकास शाखाको इन्जिनियर                          | - "       |

आज्ञाले,

धर्मबहादुर थापा

श्री ५ को सरकारको का. सु. सचिव

(२)

मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग, सिहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ ।